न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **51/2019**

GCMS NO. : ***2019/00023***

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण:–**

1. अशोक पुत्र प्रकाश
जाति– माली, निवासी– मुनीयों
की बाड़ी, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी जैतारण जिला–पाली
राज0।

राजस्व वाद बाबत् **घोषणा** एवं स्थाई **निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,** **तारीख रजू:. 07/02/2019**

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार राज तहसील जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 24/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण के पिता के सुदा एवं वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा संख्या 735 रकबा 34–7 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त सम्पति वादीगण के पिता ने वादीगण की नाबालिग अवस्था में वादीगण के लाड़ प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जानें वाले नाम कालूराम पुत्र प्रकाश नाबालिग कुदरती वलीया पिता से खरीद की थी तथा वादीगण के उक्त बोलचाल के नाम कालूराम के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम अशोक पुत्र प्रकाश है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व [illegible] है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग [illegible] जानकारी दिनांक 20.01.2019 को होनें पर पटवारी हल्का [illegible] गया तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरुस्त करवानें का कथन किया जिसे सम्बन्ध में वादीगण नाबालिग अवस्था में ख[illegible] की गयी सम्पति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्त करवानें के अधिकारी होनें से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसकों हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम अशोक पुत्र प्रकाश से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होनें से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादीगण आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया जो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई हैं इसलिए खातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है इनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देनें में समय लगेगा तब तक वाद करनें का मकसद विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करनें की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.01.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करनें एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करनें एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का एलानिया कथन करनें पर बमुकाम जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज० में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होनें से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा पेश किया जो सा०मि० है। तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया है कि मौजा जैतारण के खसरा नम्बर 735 रकबा 34-07 पर जमाबन्दी अनुसार खातेदार काबिज है। मौजा जैतारण के खसरा नम्बर 735 में से वादी के पिता द्वारा वादी के नाबालिग अवस्था में भूमि खरीद की थी, जो दिनांक 05.07.1990 को उपपंजियन अधिकारी के समक्ष कालूराम पुत्र प्रकाशराम नाम क्रय की थी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत विद्यालय प्रमाण-पत्र अनुसार वादी अशोक पुत्र प्रकाश की जन्म तिथि 01.07.1990 है। पंजीयन दस्तावेज अनुसार ही नामान्तरण 1204 भरा गया था जो सही है, पंजीयन दस्तावेज की पंजीयन तिथि 5.07.1990 में कालूराम दर्ज है जबकि वादी आशोक के विद्यालय प्रमाण पत्र अनुसार जन्मतिथि 01.07.1990 है, अतः कालूराम [illegible] प्रकाशराम एवं अशोक पुत्र प्रकाश दोनों अलग-अलग व्यक्ति है। [illegible] सबूत है। पंजियन दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड [illegible] दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम सही है। मौजा जैतारण के खसरा नम्बर 735 रकबा 34-07 में कालूराम के पिता के कालूराम की नाबालिग अवस्था में जरिये कुदरती वलीया प्रकाशराम पुत्र हेमाराम जाति माली के नाम से दिनांक 05.07.1990 को खरीद की थी, जिसका नामान्तरण संख्या 1204 दिनांक 24.06.1992 को स्वीकृत की थी, जिसका जो सही है। कालूराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:06 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रकाशराम एवं अशोक पुत्र प्रकाश दोनों अलग अलग व्यक्ति है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का जवाबदावा श्रीमानजी को प्रेषित है।

हमनें विद्धान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी और उस पर मनन किया तथा पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अवलंबन लिया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण तहसील जैतारण के खसरा संख्या 735 रकबा 34-07 बीघा में वादी का दर्ज त्रुटि नाम कालूराम पुत्र प्रकाश के स्थान पर सही नाम अशोक पुत्र प्रकाश दर्ज करने बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया।

2. वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता ने वादी की नाबालिग अवस्था में वादी के लाड प्यार एवं घर में बोलचाल में प्रचलित नाम कालूराम पुत्र प्रकाश के नाम से क्रय की गई थी जिसका इसी नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया जो वर्तमान में भी दर्ज है। जबकि वादी का सही वास्तविक दस्तावेजी नाम अशोक पुत्र प्रकाश है। इस प्रकार नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि एवं रोन्ग एन्ट्री है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है।

3. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में वादी अशोक का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1, प्रकाश पुत्र हेमाराम का साक्ष्य शपथ पत्र PW-2 , जमाबन्दी ग्राम जैतारण सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श P-1, वादी का आधार कार्ड प्रदर्श-2, वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदर्श -3, वादी का ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदर्श -4, वादी का परिवार राशन कार्ड प्रदर्श -4, वादी का छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श -6, नकल समाचार प्रति प्रदर्श -7 प्रस्तुत किये। वादी स्वयं एवं वादी के पिता प्रकाश द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के कथनों की पुष्टि कि गई है। आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, नकल समाचार प्रति में वादी का नाम अशोक पुत्र प्रकाश दर्ज है। प्रदर्श P-1 जमाबन्दी ग्राम जैतारण सम्वत् 2073-2076 में वादग्रस्त आराजी सहखातेदार का नाम कालूराम पुत्र प्रकाशराम ना0बा0 कि कु0 वली प्रकाशराम पुत्र हेमाराम दर्ज हैं। प्रदर्श -7 नकल समाचार प्रति के अनुसार वादी द्वारा यह घोषणा प्रकाशित कि गई है कि वादी का बोलचाल भाषा में कालूराम नाम से पुकारा जाता है जबकि वादी का वास्तविक नाम अशोक है।

4. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 735 में से दिनांक 05.07.1990 को विक्रय अधिकारी जैतारण के समक्ष निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार कालूराम पुत्र प्रकाशराम ना0बा0 का कु0 वली प्रकाशराम पुत्र हेमाराम हि0 1/6 काम माली द्वारा क्रय किया गया तथा पंजीयन दस्तावेज के अनुसार ही नामान्तरण संख्या 1204 दिनांक 24.06.1992 स्वीकृत किया गया, जो सही है। पर्जीयन दस्तावेज के अनुसार विक्रय विलेख पंजीयन की तिथी 05.07.1990 हैं, जिसमें कालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:28:06 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज है, जबकि वादी अशोक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जारी छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अनुसार वादी अशोक की जन्मतिथि 01.07.1990 दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी अशोक तथा वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज कालूराम एक ही व्यक्ति नहीं होकर दोनों परस्पर भिन्न एवं अलग अलग व्यक्ति है, जो रेकॉर्ड से साबित है।

5. उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी कालूराम पुत्र प्रकाशराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.07.1990 को क्रय की गई थी तथा विक्रय विलेख के मुताबिक नामान्तरण दर्ज किया गया एवं स्वीकृत नामान्तरण के अनुरूप ही वर्तमान में भू-अभिलेख में प्रविष्टियां दर्ज है। वादी द्वारा अशोक पुत्र प्रकाश/प्रकाशराम के नाम से दस्तावेज प्रस्तुत किये है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि कालूराम एवं अशोक वस्तुतः एक ही व्यक्ति हैं, साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में वादी की जन्मतिथि 01.07.1990 दर्ज है जबकि वादग्रस्त आराजी का प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांक 05.07.1990 का है। अतः प्रश्नगत विक्रय विलेख का क्रेता कालूराम तथा अशोक के एक ही व्यक्ति होनें का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वाद वादी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)